Regarding condition of women in the country

श्री मुकेश राजपूत **(फर्रूखाबाद) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देताहूँ ।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते है भारत में नारी सदियों से ही पूजनीय रही है यहाँ सनातन धर्म में ?नारी तू नारायणी? कहा जाता है अर्थात देवी का दर्जा दिया जाता है ।

12.13 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

महोदया, जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार महिलाओं के सम्मान व उनके उत्थान के लिए महत्पूर्ण कार्य किये जा रहे हैं एवं उनकी हर एक योजना महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर ही प्रारम्भ होती है ।

परन्तु महोदया, विगत दिनों प्रयागराज हाई कोर्ट के एक जज के द्वारा दिए गए एक अशोभनीय वक्तव्य से मन अत्यंत व्यथित है । बड़े चिंतन का विषय है कि उच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे कुछ लोग निजी स्वार्थ या भ्रमवश इस तरह से वक्तव्य देते हैं ।

महोदया, ऐसा पद जहाँ हर पीड़ित व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जिसके साथ अन्याय हुआ हो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, इस उम्मीद से कि यहाँ उसको न्याय मिलेगा । परन्तु ऐसे पदासीन न्यायाधीश जब इस तरह की बात महिलाओं के प्रति कहते हैं कि किसी महिला या युवती के प्राइवेट पार्ट को टच करना या कपड़े फाड़ना यहाँ तक कि उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना भी बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता है । यह अत्यंत भयावह एवं शर्मनाक है । मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूँ ।

महोदया, उन्होंने यह बात कासगंज जनपद की एक नाबालिग बच्ची के साथ साल 2021 में हुई घटना पर कही, जहां तीन लोगों ने एक बच्ची के साथ बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ । उसे पुलिया के नीचे घसीट कर ले गये यहां तक कि उसके पायजामा का नाड़ा भी तोड़ दिया । लेकिन तभी वहां से ट्रैक्टर से गुजर रहे दो व्यक्तियों ने लड़की की रोने की आवाज़ को सुना तो वहां पर पहुंचे । जिस पर अपराधियों ने उन्हें तमंचा दिखाया और फिर वहां से भाग गए ।

अभियुक्तों ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी । उस पर वहां के न्यायाधीश के द्वारा इस तरह की बात कही गई है ।

महोदया, इससे देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं । महिलाएं अपने आप में स्वयं असहज महसूस कर रही हैं । ऐसे लोगों को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए ।

महोदया, जहाँ संविधान में किसी महिला को आंख मारना भी अपराध की श्रेणी में आता है, वहां कोई इस प्रकार की घटना को बलात्कार न माने, यह कैसे हो सकता है?

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले को अपने संज्ञान में लें । इस तरह के वक्तव्य देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ संविधान के दायरे में रह कर कार्रवाई की जाए, ताकि कभी भी

इस तरह की घटना दोबारा न हो । इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और माननीय मंत्री जी से उचित कार्रवाई की मांग भी करता हूं ।